

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2711
(04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

असम के लिए वीबी-जी राम-जी

2711. श्री जयन्त बसुमतारी:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2025 से असम में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन-ग्रामीण (वीबी-जी राम-जी) योजना के तहत असम के बाढ़ प्रभावित और दूरदराज के जिलों के लिए एक विशेष श्रेणी के साथ सृजित किए गए कार्यदिवसों की संख्या और तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2025 से असम में वीबी-जी राम-जी के तहत आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वीबी -जी राम -जी में संक्रमण से असम जैसे बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में घटते कार्य दिवस, मजदूरी में देरी और मौसमी व्यवधान जैसी समस्याओं का समाधान होगा और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे मुद्दों का समाधान किस प्रकार किया जाएगा और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में ग्रामीण रोजगार के निरंतर सृजन को सुनिश्चित करने के लिए किसी क्षेत्र-विशिष्ट सुधार या बाढ़-रोधी कार्यों की योजना बनाई जा रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) एवं (ख): विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम, 2025 के अधिनियमन के फलस्वरूप, यह योजना असम सहित पूरे देश के

ग्रामीण क्षेत्रों में 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी रूप से लागू की गई है। असम राज्य में विगत वित्तीय वर्षों तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान (30.07.2026 तक की स्थिति अनुसार) महात्मा गांधी नरेगा एवं वीबी-जी राम जी योजना के तहत सृजित श्रम-दिवसों का जिला-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

वीबी-जी राम जी के तहत निधि आवंटन के संबंध में, जो 01.07.2026 से प्रभावी हुई है, यह उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य को अंतरिम आवंटन के रूप में 1929.70 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। इसके पश्चात, प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर विभिन्न घटकों के तहत केंद्रीय अंश की पहली किस्त के रूप में राज्य को 630.96 करोड़ रुपये की मूल स्वीकृतियां जारी की गई हैं, जिसमें से राज्य अब तक 18.58 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग कर चुका है।

(ग) से (ड): विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम, 2025 में प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने हेतु इच्छुक हैं, को एक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी का प्रावधान है, जबकि पूर्ववर्ती महात्मा गांधी नरेगा के तहत यह एक सौ दिन थी। यह अधिनियम प्रौद्योगिकी-सक्षम कार्यान्वयन, निर्धारित समय-सीमा के अनुसार मजदूरी के समयबद्ध भुगतान, जहां भी लागू हो वहां विलंब क्षतिपूर्ति के भुगतान, तथा एक समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र का भी प्रावधान करता है।

वीबी-जी राम जी योजना के तहत, जलवायु सहनशीलता, अनुकूलन एवं प्रतिकूल मौसम से होने वाली घटनाओं को कम करना, सांविधिक ग्रामीण रोजगार एवं परिसंपत्ति सृजन ढांचे का एक अभिन्न अंग है। नियोजन ढांचे के अंतर्गत, जलवायु सहनशीलता एवं अनुकूलन को योजना की मूल प्राथमिकताओं के रूप में शामिल किया गया है। स्वीकार्य एवं प्राथमिकता वाले कार्यों की श्रेणियों में जल संरक्षण, वाटरशेड विकास, भूजल पुनर्भरण, वनरोपण, स्रोत संधारणीयता, बाढ़ एवं सूखा शमन उपाय, तथा प्राकृतिक संसाधन परिसंपत्तियों की पुनर्स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण शामिल हैं। अधिनियम की अनुसूची में आगे "प्रतिकूल मौसम से होने वाली घटनाओं एवं आपदा तैयारी को कम करने हेतु विशेष कार्यों" से संबंधित कार्यों के एक समर्पित विषयगत क्षेत्र का प्रावधान है, जिसमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन, तथा बाढ़, चक्रवात, तूफान, सूखा, भूस्खलन, वनाग्नि एवं प्रतिकूल मौसम से होने वाली अन्य घटनाओं से ग्रामीण समुदायों एवं परिसंपत्तियों की सुरक्षा पर विशेष क्षेत्रागत ध्यान देना शामिल है।

इस श्रेणी के तहत उदाहरणात्मक कार्यों में चक्रवात आश्रय स्थल, बाढ़ आश्रय स्थल तथा बहुउद्देशीय आपदा-सहनशील संरचनाओं का निर्माण; डायवर्जन चैनल, तटबंध तथा अन्य आपदा-शमन कार्य; बाढ़ प्रबंधन हेतु तालाबों एवं जल संरचनाओं का स्थिरीकरण;

ग्रामीण सड़कों एवं सामुदायिक परिसंपत्तियों की आपदा-पश्चात पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना, पवन अवरोधक एवं आश्रय-पट्टी वृक्षारोपण; तथा वनाग्नि प्रबंधन कार्य जैसे फायर ब्रेक एवं ईंधन बफर जोन शामिल हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य ऐसे जलवायु-सहनशील गांवों का सृजन है जो प्रतिकूल मौसम से होने वाली घटनाओं का सामना करने में सक्षम हों।

लोक सभा में दिनांक 04.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2711 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

असम राज्य में विगत वित्तीय वर्षों तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान (30.07.2026 तक की स्थिति अनुसार) महात्मा गांधी नरेगा एवं वीबी-जी राम जी योजना के तहत सृजित श्रम-दिवसों का जिला-वार ब्यौरा

क्रम सं.	जिला	सृजित श्रम दिवस	
		2025-26 (महात्मा गांधी नरेगा योजना)	2026-27 (महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं वीबी जी राम जी)
1	बजाली	424498	75238
2	बक्सा	1530748	267307
3	बारपेटा	2101292	1010763
4	बिश्वनाथ	2164971	659139
5	बोंगाईगांव	797451	147792
6	कछार	2577171	508406
7	चराईदेव	623384	191511
8	चिरांग	1094358	239022
9	दरांग	2540026	1090408
10	धेमाजी	1607772	651000
11	धुबरी	2812789	1270655
12	डिब्रूगढ़	1269452	304524
13	दिमा हसाओ	339191	135293
14	गोलपाड़ा	1150780	723789
15	गोलाघाट	2085646	799924
16	हैलाकांडी	1518496	911767
17	होजाई	1656394	662380
18	जोरहाट	967201	230683
19	कामरूप	3065525	1129918
20	कामरूप (मेट्रो)	119612	26715

21	कार्बी आंगलॉग	1655163	419876
22	कोकराझार	2775918	958803
23	लखीमपुर	2098755	1154547
24	माजुली	519654	273520
25	मोरीगांव	1949766	983291
26	नगांव	4041415	1842789
27	नलबाड़ी	1572160	464621
28	शिवसागर	1497970	340751
29	सोणितपुर	1634578	534210
30	दक्षिण सलमारा-मानकाचर	879038	260580
31	श्रीभूमि	1886134	659355
32	तामुलपुर	676395	216601
33	तिनसुकिया	1719334	688332
34	उदलगुरी	2229253	635841
35	पश्चिम कार्बी आंगलॉग	597945	74353
	कुल	56180235	20543709